

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 16/2020 RCMS 2020/00032

वादीया

1. दुर्गा कंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत उम्र 53 वर्ष निवासी पारीक कॉलोनी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. कृष्णादेवी पुत्री नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
2. नन्दाराम पुत्र चौथाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
3. नेमीचन्द पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
4. भागीरथ पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
5. भोमाराम पुत्र चौथाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
6. राधेश्याम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
7. रामनिवास पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी मण्डा की ढाणी, आसपुरा
8. रामसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर
9. शिवजीराम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा - इस्तकरार हक व भू-विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88, R.T.Act 1955

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीया की ओर से।

श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़यिता अधिवक्ता प्रति. 2, 6, 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :- 06/10/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उभय पक्षकाराने ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 17.10.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2023/154 दिनांक 17.01.2023 के द्वारा भिजवाई गई, दिनांक 28.12.2022 को तैयार मौका फर्द बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/137 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 322/156 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 325/159 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर के मौके पर पटवारी हल्का के साथ पहुंचा, मौके पर पक्षकारान व मौतबिरान उपस्थित मिले, मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मौतबिरान ने नजरी नक्शानुसार वादीया व प्रतिवादीगण का कब्जा होना बताया। खसरा नम्बर 135 मं से 9 मीटर चौड़ाई का 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/137 में से 5 मीटर चौड़ाई का 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

322/156 में से 5 मीटर व 9 मीटर चौड़ाई का 0.04 हैक्टर कुल रकबा 0.30 हैक्टर नजरी नक्शानुसार भूमि सहखातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता रहेगी। नजरी नक्शानुसार बिन्दू सं. **A** खसरा नम्बर 136 में से 0.12 हैक्टर व बिन्दू सं. **B** खसरा नम्बर 135 में से 0.2413 हैक्टर कुल 0.3613 हैक्टर पर वादिया का, बिन्दू सं. **C** खसरा नम्बर 135 में से 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 7 रामनिवास का, बिन्दू सं. **D** खसरा 135 में से 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी शिवजीराम का, बिन्दू सं. **E** खसरा नम्बर 135 में से 0.17 हैक्टर व बिन्दू सं. **F** खसरा नम्बर 325/159 में से 0.03 हैक्टर कुल रकबा 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 6 राधेश्याम का, बिन्दू **G** संख्या खसरा नम्बर 325/159 में से 0.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 135 में से 0.53 हैक्टर कुल रकबा 0.60 हैक्टर प्रतिवादी सं. 02 नन्दाराम का कब्जा होना बताया गया। तदनुसार ही बाकी व प्रतिवादीगण आदेशानुसार जोत विभाजन करवाना चाहते हैं, खसरा नम्बर 135 में से 1.4287 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 में से 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/135 में से 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 322/156 में से 0.12 हैक्टर भूमि नजरी नक्शानुसार अन्य प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में (हिस्सा जमाबंदी अनुसार) होना बताया गया। उपस्थित पक्षकारान व मौतिबरान के समक्ष मौका फर्द बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की गई है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/137 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 322/156 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 325/159 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर में नजरी नक्शानुसार बिन्दू सं. **A** खसरा नम्बर 136 में से 0.12 हैक्टर व बिन्दू सं. **B** खसरा नम्बर 135 में से 0.2413 हैक्टर कुल 0.3613 हैक्टर में वादिया को, बिन्दू सं. **C** खसरा नम्बर 135 में से 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 7 रामनिवास को, बिन्दू सं. **D** खसरा 135 में से 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी शिवजीराम को, बिन्दू सं. **E** खसरा नम्बर 135 में से 0.17 हैक्टर व बिन्दू सं. **F** खसरा नम्बर 325/159 में से 0.03 हैक्टर कुल रकबा 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 6 राधेश्याम को, बिन्दू संख्या **G** खसरा नम्बर 325/159 में से 0.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 135 में से 0.53 हैक्टर कुल रकबा 0.60 हैक्टर प्रतिवादी सं. 02 नन्दाराम को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका बंटवारा स्कीम अर्थात् बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.12.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरा एवं रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी 2, 6, 7, 9 का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खसरा नम्बर 135 में से 1.4287 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 में से 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/135 में से 0.11 हैक्टर, खसरा



(Handwritten Signature)
जिला अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 322/156 में से 0.12 हैक्टर भूमि शेष रहे खातेदाररान पक्षकारान के नाम उनके जमाबंदी में हक हिस्से अनुसार दर्ज रहेगी। शेष खाता बढूस्तूर जमाबंदी अनुसार रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल 'हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (मोरार)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :- 16/2020 RCMS 2020/00032

वादीया

1. दुर्गा कंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत उम्र 53 वर्ष निवासी पारीक कॉलोनी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. कृष्णादेवी पुत्री नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
2. नन्दाराम पुत्र चौथाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
3. नेमीचन्द पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
4. भागीरथ पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
5. भोमाराम पुत्र चौथाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
6. राधेश्याम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
7. रामनिवास पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी मण्डा की ढाणी, आसपुरा
8. रामसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर
9. शिवजीराम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
10. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा - इस्तकरार हक व भू-विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88, R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 3.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/137 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 322/156 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 325/159 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 3.66 हैक्टर में नजरी नक्शानुसार बिन्दू सं. A खसरा नम्बर 136 में से 0.12 हैक्टर व बिन्दू सं. B खसरा नम्बर 135 में से 0.2413 हैक्टर कुल 0.3613 हैक्टर में वादिया को, बिन्दू सं. C खसरा नम्बर 135 में से 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 7 रामनिवास को, बिन्दू सं. D खसरा 135 में से 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी शिवजीराम को, बिन्दू सं. E खसरा नम्बर 135 में से 0.17 हैक्टर व बिन्दू सं. F खसरा नम्बर 325/159 में से 0.03 हैक्टर कुल रकबा 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 6 राधेश्याम को, बिन्दू संख्या G खसरा नम्बर 325/159 में से 0.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 135 में से 0.53 हैक्टर कुल रकबा 0.60 हैक्टर प्रतिवादी सं. 02 नन्दाराम को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका बंटवारा स्कीम अर्थात् बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.12.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, शेष खसरा एवं रकबा में से वादी एवं प्रतिवादी 2, 6, 7, 9 का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खसरा नम्बर 135 में से 1.4287 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 में से 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 321/135 में से 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 322/156 में से 0.12 हैक्टर भूमि शेष रहे खातेदारान पक्षकारान के नाम उनके जमाबंदी में हक हिस्से अनुसार दर्ज रहेगी। शेष खाता बदस्तूर जमाबंदी अनुसार रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज मुबलिग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।



**उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)**

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुशाग्र सिटी (नागौर)

मुदई	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल		खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक		
मीजान		मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

में सुनील कुमार.....(नाम) तहसीलदार क.सिरी न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचारासरी के आदेश क्रमांक क.सिरी/2022/291 दिनांक 17.10.22 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 20.10.22 समयबजे आराजी खसरा नम्बर-135'136'321'322'325' वाके ग्राम पन्नाडा पटवार हल्का क.पुपुरा पर श्री 131'156'159' नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचारासरी में विचाराधीन प्रकरण संख्या-16/2020 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	<u>दुर्गादेव</u>	<u>मिर्गीपति</u>	<u>21</u>	<u>ब्राह्मण</u>	<u>वादी</u>
2.	<u>रामनिवास</u>	<u>पन्नास</u>	<u>17</u>	<u>ब्राह्मण</u>	<u>प्रतिवादी</u>
3.	<u>श्रीमन्म</u>	<u>गैयाराम</u>	<u>18</u>	<u>ब्राह्मण</u>	<u>प्रतिवादी</u>
4.	<u>नन्दम</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>प्रतिवादी</u>

दुर्गादेव

रामनिवास





श्रीमन्म

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

विभाजन मौका कर्त अर्थात् -

सत्यापित

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1.	दुर्गाकर / शिरीपसिंह	शिरीपसिंह	ब्राह्मण		दुर्गाकर
2.	रामनिवास / चण्डाराम	चण्डाराम	ब्राह्मण		रामनिवास
3.	मोसाशम / चौधाराम	चौधाराम	बुद्ध		
4.	नन्दाराम / - -	- -	- -		




निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.
/					

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-


क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..
1.	नरेडसिंह / शिरीपसिंह	शिरीपसिंह			9149600342
2.	गोखर / रामनिवास	रामनिवास			9937161475
3.	भोजराम / नन्दाराम	नन्दाराम			94131807180
4.	देवाराम / गोखर	गोखर			9983087131
5.	किशोराम / गोखर	गोखर			9982112362




देवाराम

किरण, पता

इस प्रकार आज दिनांक 28/11/2022 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।


हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं. पु. पु. वृत्त...









हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत्त...


हस्ताक्षर
ना. तह.
.....

हस्ताक्षर
तहसीलदार

तहसीलदार (भू. अ.) कुचामन सिंह

उपरोक्तानुसार ख. नं. 135 में से 9 मी. चौड़ाई का 0.23 है, ख. नं. 321/137 में से 5 मी. चौड़ाई का 0.03 है व ख. नं. 322/156 में से 5 मी. व 9 मी. चौड़ाई का 0.04 है कुल 0.30 है नदरी नब्बापुर्मा ग्राम सख्वासेवारे के आणगमन हेतु शाखा रहेगी। नदरी नब्बापुर्मा विद्रु सं. A ख. नं. 136 में से 0.12 है व विद्रु सं. B ख. नं. 135 में से 0.2413 है कुल 0.3613 है पर वाकिया का, विद्रु सं. C ख. नं. 135 में से 0.20 है पर परिणामी सं. 07 वाकियास का, विद्रु सं. D ख. नं. 135 में से 0.20 है पर परिणामी सं. 9 वाकियास का, विद्रु सं. E ख. नं. 135 में से 0.17 है व विद्रु सं. F ख. नं. 325/159 में से 0.03 है कुल 0.20 है पर परिणामी सं. 06 वाकियास का, विद्रु सं. G ख. नं. 325/159 में से 0.07 है व ख. नं. 135 में से रकबा 0.53 है ^{कुल 0.60 है} परिणामी सं. 02 नब्बापुर्मा का कलवा होना बताया गया, नदरी नब्बापुर्मा ही वाकिया व परिणामी का आकेशानुसार जोर विभाजन करवाना चाहते हैं। ख. नं. 135 में से 14987 है, ख. नं. 136 में से 0.14 है, ख. नं. 321/135 में से 0.11 है, ख. नं. 322/156 में से 0.12 है ग्राम नदरी नब्बापुर्मा अन्य परिणामी का संयुक्त आकेशारी में (दिया पत्रावली अनुसार) होना बताया गया। उपस्थित पक्षकारान व मौजूदस्थान के समक्ष मौजूद कर्क बरवाय स्थीम सुगाविक न्यायालय आदेश लिया कर पढ़ा सुनई गई व धारा 177 करवाये बरसे।


 राजेंद्र सिंह

 दुर्गा कवर

 प. स. सिंह

 LT I न. 1314

 LT I न. 1314

 क्वाराम

 क्वाराम


 क्वाराम
 बहसीलदार (म. अ.) कुचामन सिटी

नरेन्द्र सिंह